कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक–4366 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,मई, 21, 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
बीना–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 दिनांक– 12.04.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2947/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 13.04.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 3298/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 20.04.2022
4–आपका पत्र दिनांक– 07 दिनांक– 13.07.2022
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 299/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.07.2022
6–आपका पत्र संख्या– 19 दिनांक– 29.09.2022
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1341/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 18.10.2022
8–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1676/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 14.11.2022
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 1594/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 15.11.2022
10–आपका पत्र संख्या– 27 दिनांक– 25.11.2022
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 2201/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 04.01.2023
12–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2548/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 09.02.2023
13–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
14–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
15–इस कार्यालय का पत्रांक–3339/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 01.04.2023
16–आपका पत्रांक– बीना/उ0प्र0वन/एफ0सी0/2023/6 दिनांक– 25.04.2023
17–इस कार्यालय का पत्रांक– 3833/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 17.05.2023
18–आपका पत्रांक–09 दिनांक– 31.05.2023
18–इस कार्यालय का पत्रांक– 4284/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.06.2023
19–आपका पत्रांक–18 दिनांक– 12.09.2023
20–इस कार्यालय का पत्रांक– 1014/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.09.2023
21–इस कार्यालय का पत्रांक– 3906/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 10.04.2024
22–आपका पत्र संख्या– 35 दिनांक– 07.10.2024
23–इस कार्यालय का पत्रांक– 1261/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 08.10.2024
24–आपका पत्रांक– 44 दिनांक– 02/05.01.2025 प्राप्त दिनांक–22.01.2025
25–इस कार्यालय का पत्रांक– 2755/रेनुकूट/15–108 दिनांक–10.02.2025
26–आपका पत्रांक– 58 दिनांक– 07.05.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखो की मॉग की गयी :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु ।
1	No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest

Scanned with CamScanner

Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रो द्वारा अप्रैल 2022 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करते हुए संदर्भित पत्र दिनांक– 02/05.01.2025 तथा 07.05.2025 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 17.12.2024 के बिन्दु संख्या– (iv) मे उल्लिखित निम्न विवरण का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रस्ताव मे 61 है0 अवनत वन भूमि पर सी0ए0 स्कीम की सहमति देते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

यहॉ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम मे उ0प्र0 शासन/मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से अनुपालन किये जाने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नही हुआ है । निदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा । उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल रिट याचिका संख्या– सिविल 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे पारित दिनांक–03.02.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

1- Issue notice in I.A. NOS 115428/2024, 28902/2025 & 22042/2024.
2- Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General of India states that replies to these applications would be filed within a period of three weeks from today.
3- She further states that a Status Report would also be placed before this Court by the next date of hearing.
4- We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest ladn unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation.
5- List on 04.03.2025, high up on the Board.

इस प्रकार प्रश्गनत प्रकरण मे गैर वन भूमि से छूट के संबंध मे भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के स्तर से जब तक कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नही होता है तब तक प्रश्गनत प्रकरण मे प्रभाग स्तर से दुगूने अवतन वन भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध मे आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव नही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 द्वारा मॉगी गयी सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रभाग स्तर से आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव हो सकेगा ।

भवदीय

(डा0 भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner